कार्यालय जिला पंचायत उत्तर–बस्तर कांकेर (छ.ग.)

विज्ञापन

क्र./2199/जि.पं./व्या.पं. भर्ती/ 2016–17 कांकेर दिनांक 27/05/2016

छ.ग. शासन, पंचायत एंव ग्रमीण विकास विभाग,मंत्रालय, महानदी भवन,नया रायपुर के पत्र क्र. /172/अमुस/पग्राविवि/2016/नया रायपुर दिनांक 17.05.2016 के अनुसार सीधी भर्ती हतु उपलब्ध कराये गये रिक्त पदों हेतु छ.ग.शासन,पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय महानदी भवन,नया रायपुर के ज्ञापन क्र./पंचा.–192/पग्राविवि./2012/1167 दिनांक 21.06.2012 एंव छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012 तथा छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक – पंचा– 142/पंग्राविवि/2012 /1583, रायपुर,दिनांक 21.11.2012 के द्वारा छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012 में संशोधन अनुसार जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग , स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं / संस्थाओं में (हाई स्कूल/ हायर सेकेन्ड्री स्कूल) में व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कम्प्युटराईज्ड / टाईपराइटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोष्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 15.06.2016 को संध्या 5.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते है । निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.06.2016

व्याख्याता (पंचायत) (छ.ग. के मूल निवासी हेतु)

रिक्त पदों की गणना

क्र	विषय	कुल रिक्त पद	अनारक्षित					अ.पि.व.					अ.जा.					अ.ज.जा.					महायोग				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	योग
1	अंग्रेजी	41	6	2	1	1	10	3	2	0	1	6	1	1	0	0	2	14	6	1	2	23	24	11	2	4	41
2	गणित	46	7	3	1	1	12	3	2	0	1	6	1	1	0	0	2	15	7	1	3	26	26	13	2	5	46
3	भौतिकी	32	4	2	1	1	8	3	2	0	0	5	1	0	0	0	1	11	4	1	2	18	19	8	2	3	32
4	रसायन	26	4	2	0	1	7	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	8	4	1	1	14	16	7	1	2	26
5	जीवविज्ञान	30	5	2	0	1	8	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	10	4	1	2	17	19	7	1	3	30
6	वाणिज्य	18	4	1	0	0	5	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	6	2	1	1	10	12	4	1	1	18
	योग :-	**193**	**30**	**12**	**3**	**5**	**50**	**16**	**9**	**0**	**2**	**27**	**6**	**2**	**0**	**0**	**8**	**64**	**27**	**6**	**11**	**108**	**116**	**50**	**9**	**18**	**193**

टीप – UR = अनारक्षित, SC अनुसूचित जाति , ST = अनुसूचित जन जाति , OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलियर)

02. रिक्त पदों की संख्या घट – बढ़ सकती है जिसके लिये जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा ।

03. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है । दिव्यांग जनों के लिये 6 प्रतिशत रिक्तियां , निःशक्तता से ग्रस्त ब्यक्तियों के लिये आरक्षित रखी जाएगी , जिसमें से दो– दो प्रतिशत रिक्तियां 1. दृष्टि बाधित अथवा कम दृष्टि 2. श्रवण बाधित और 3. अस्थि बाधित अथवा प्रमस्तिष्क अंगाधात से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हांकित किये गये पदों में आरक्षित होगी ।

04.विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत, उत्तर बस्तर के सूचना पटल एवं वेबसाईट एड्रेस www.zp-kanker.cg@nic.in एवं www.kanker.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है ।

05.आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र / दस्तावेज असत्य/ फर्जी पाये जाने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा ।

विभागीय नियम एवं शर्ते :

1. वेतनमान रूपये :-

व्याख्याता (पंचायत) के लिये वेतनमान 5300–150–8300

2. पात्रता की शर्ते :-

व्याख्याता (पंचायत) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–

2.1 व्याख्याता (पंचायत) के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नाकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. उत्तीर्ण की उपाधि। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी दिनांक को अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता ही मान्य होगा । विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात की कार्यवाही के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अर्हता अर्जित की जाती है तो उसे मान्य नहीं किया जावेगा । इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त अहस्ताक्षरित कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें ।

क्र.	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	भौतिकी	भौतिकी /इलेक्ट्रानिक्स/एप्लाइड भौतिकी /न्यूक्लियर भौतिकी
3	रसायन	रसायन, बायोकेमेस्ट्री
4	वाणिज्य	एकाउंटेंशी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउटिंग /फाईनेंसियल एकाउंटेंसी एक मुख्य विषय हो ।
5	गणित	गणित/एप्लाइड गणित
6	जीव विज्ञान	वनस्पति शास्त्र/ प्राणी शास्त्र/मानव विज्ञान (लाइफ साइंस)/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स) सूक्ष्म जैविक (माइक्रोबायालाजी) जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालाजी) /आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलाजी / पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलाजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो ।

2.1 आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा छ.ग. के सभी जिलों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं

2.2 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

2.3 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

2.4 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय / अर्धशासकीय /निगम / मण्डल के सेवकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)

2.5 आवेदक के द्वारा आवेदन – पत्र जमा करने की तिथि में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण – पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

2.6 व्याख्याता पंचायत यथा स्थिति जिला पंचायत जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे ।

2.7 आरक्षित वर्ग के पदों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के हस्ताक्षर व पद मुद्रा से निर्धारित प्रपत्र में जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

03. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता :– यदि व्याख्याता (पंचायत) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ऐसे मामलो में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अन्दर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी ।

4. आयु सीमा :-

विज्ञापन जारी तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो । आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी । अभ्यर्थी की आयु की गणना विज्ञापन जारी तिथि के अनुसार किया जावेगा । आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु छूट संबंधी किसी प्रकार की पात्रता हासिल करता है तो उसे आयु की गणना हेतु मान्य नहीं किया जावेगा ।

5. भर्ती का तरीका :-

5.1 व्याख्याता (पंचायत) की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक , स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 30 अंक । मैरिट के आधार पर सीधी भर्ती के लिए आवेदकों को शैक्षाणिक योग्यता अर्थात स्नातक, स्नाकोत्तर एवं बी.एड. में प्राप्त अंकों के आधार पर, शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अधिमान्यता दी जाएगी ।

5.2 चयन हेतु अभ्यथी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत का होगा ।

5.3 चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5.4 चयनित उम्मीद्वार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा ।

5.5 आरक्षित वर्ग के आवेदक अपनी जाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5.6 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तो के अनुसार कोई तथ्य गलत पाये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

5.7 चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी । जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा । प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी के कार्य का आकलन करेगा ।

5. आवेदन पत्र जमा करने की विधिः-

आवेदन पत्र वांछित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतियों के सहित जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में **दिनांक 15.06.2016** तक कार्यालयीन समय में स्वीकार किये जायेंगे । अभ्यर्थी आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से इस प्रकार भेजे कि जिला पंचायत कार्यालय को **दिनांक 15.06.2016 को 5:30 बजे** तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जावे । डाक विलम्ब से प्राप्त होने पर जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी । आवेदक 5/- रूपये का डाक टिकट लगा हुआ दो लिफाफा जिसमें स्वंय के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित लिखा हुआ हो, आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें ।

6. आवेदन पत्र प्रारूप की उपलब्धता :-

आवेदन पत्र जिला पंचायत के वेब साईट - www.kanker.gov.in में उपलब्ध कराई गई है ।

7. नियुक्ति प्रकियां :-

1. प्रावीण्य सूची का प्रकाशन (दावा आपांत्ति हेतु)जिला पंचायत कांकेर के सूचना पटल एवं वेबसाइट में की जावेगी ।
2. दावा आपांत्ति प्राप्त प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक सूची प्रकाशित होने के सात दिवस के भीतर होगी ।**
3. सत्यापन हेतु अंतिम सूची प्रकाशन **जिला पंचायत के वेब साईड में देखा जा सकता है) web side - www.kanker.gov.in**
4. दस्तावेज सत्यापन व्याख्याता (पंचायत) के लिए **जिला पंचायत के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर किया जावेगा ।**
5. सत्यापन पश्चात् मेरिट सूची जिला पंचायत के वेब साइट पर देखा जा सकेगा ।

टीप :- 01. निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का दावा-आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा, तथा निर्धारित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वमेव समाप्त हो जावेगी । दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज के साथ एक सेट स्व प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

आवेदित पद का नाम :- (व्याख्याता पंचायत)विषय ....

आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साईज
का नवीनीतम
फोटो चस्पा करें।
स्व प्रमाणित

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)।

01. आवेदक का पुरा नाम (हिन्दी में) :-..
(अंग्रेजी में) :-..

02. पिता/पति का नाम :-..

03. वर्तमान डाक का पता जिस पर पत्र व्यवहार किया जावेगा :-..
:-..
:-..

04. स्थाई पता :-..
:-..
:-..
:-..

05. जन्मतिथि अंकों में हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार छायाप्रति संलग्न करें) :-वर्ष.................माह....................दिन......

06. विज्ञापन जारी तिथि को आयु :-वर्ष.................माह....................दिन......

07. जन्म स्थान (छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-ग्राम/नगर..
:-तहसील........................जिला.................
:-राज्य..........................पिन.................
:-फोन/मोबा.नम्बर.......................................

08. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक :-..

09. विकलांग होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें। :-..

10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। :-..

11. क्या अभ्यर्थियों के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थानों/न्यायालय में लंबित है। अथवा किसी न्या.में निराकृत हो चुका है? यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्र.एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। :-..

12. यदि आवेदक शास./अर्धशास.संस्था में सेवारत है/थे :-..
(यदि हां तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

13. जाति का विवरण जो लागू हो सही (√) का निशान लगायें

अजजा	अजा	अपिव	सामान्य	महिला	पुरूष

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित फोटोकापी संलग्न करें)

14. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांको का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
01						
02						
03						
04						

सहपत्र :- स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित :-(सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित संलग्न करें)

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....
9. .... 10. ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

--:घोषणा पत्र:---

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण, एवं सही है तथा आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं । मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई जानकारी या सूचना गलत, असत्य, अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद हेतु मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है एवं मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी ।

स्थान :-

दिनांक :-

(आवेदक के हस्ताक्षर)